

पुराने तापीय विद्युत संयंत्र और आगे की राह

यह एडिटोरियल 09/08/2021 को 'द हिंदू' में प्रकाशति ''Revisit the idea of 'aging out' India's coal plants'' लेख पर आधारित है। इसमें पुराने कोयला-आधारति बजिली संयंतरों को बंद करने के विचार और भविषय के लिय इसके नहितारथों के संबंध में चरचा की गई है।

वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट संभाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में प्रमुखता से योगदान करने वाले<mark>म्राने कोयला-आधारति</mark> बिजली संयंतरों को बंद करना भारत के राष्ट्रीय सुतर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions) की प्राप्ति में सहायता करेंगे ।

चुँक 25 वर्षों से अधकि पुराने ये संयंत्र देश की कुल स्थापति तापीय क्षमता के लगभग 20% <mark>की</mark> हस्सिसेदा<mark>री रख</mark>ते हैं <mark>और</mark> देश की बजिली आपूरति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें बंद किये किये जाने के निर्णय पर विकिपूर्वक विचार करने की आ<mark>वश्यकता है कि</mark> क्या <mark>वाकई</mark> उन **ला**भों को प्राप्त किया जा सकता है जनिका दावा किया जा रहा है। Vision

संयंत्रों को बंद करने के लाभ

- **आर्थिक लाभ:** यह तर्क दिया जा है कि अभी तक पूरी क्षमता से अप्रयुक्त <mark>नवीन (और संभ</mark>वतः अधिक कुशल) कोयला-आधारित क्षमता की उपलब्धता का अर्थ यह है कि पुराने अक्षम संयंत्रों की बंद करने से दक्षता में सुधार होगा<mark>, कोयले के उपयोग में कमी आएगी और इसलि</mark>ये लागत की
- परदृषण नियंतरण तंतर के निरमाण में कठिनाई: माना जाता है कि परयावरण, जलवाय परविरतन और वन मंतरालय दवारा घोषति उत्सरजन मानकों की पुरति हेतु पुराने बिजली संयंत्रों द्वारा आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण तंत्र स्थापित करना अलाभकारी होगा और इसलिय उन्हें सेवानवित्त करना ही बेहतर वकिलप होगा ।
- भूमि क्षरण में गरिावट: कोयला बजिली संयंत्रों (विशेषकर पुराने संयंत्र) से अनुपचारित वायु और जल प्रदूषक आस-पास के क्षेत्रों की जल प्रणाली और वनस्पतियों एवं जीवों को प्रभावति करते हैं, और परविश को जीवनयापन अथवा आजीविका गतविधियों के लिय अनुपयुक्त बना देते हैं ।
- पुराने कोयला-आधारति बजिली संयंत्रों को बंद करने और निर्माणाधीन बजिली संयंत्रों पर रोक लगाने से एक ऐसे समय 1.45 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी जब कोवडि-19 के कारण बजिली की माँग प्रभावति हुई है।
 - ॰ यह बचत पुराने संयंतरों से होने वाले उतसरजन की विषा<mark>कत</mark>ता को कम करने के लिये 'रेटरोफटिगि' की आवशयकता की समापति के कारण
- पुराने कोयला संयंत्रों से प्राप्त बजिली के स्थान पर सस्ते नवीकरणीय सरोतों का उपयोग बजिली वितरण कंपनियों/डिस्कॉम के लिये आपूर्ति की लागत और राजसव सुजन के बीच के अंतराल को कम करेगा।

संयंत्रों को बंद करने से संबद्ध जोखिम

- अधिक बचत नहीं: वशिलेषण से पता चलता है कि 25 वर्ष से पुराने संयंत्रों को बंद करने से उत्पादन लागत में 5,000 करोड़ रुपये वार्षिक से कम की बचत होगी जो कुल बजिली उत्पादन लागत का केवल 2% है।
 - ॰ ये बचतें उन तय लागतों (जैसे कि ऋण चुकौती) के भुगतान के लिये भी अपर्याप्त होंगी, जिनका भुगतान किसी भी स्थिति में करना ही होगा, भले ही पुराने संयंत्र समय-पुरव सेवानवित्त कर दिए जाएँ।
 - ॰ इसी प्रकार, 25 वर्ष से पुराने संयंत्रों के बदले नवीन कोयला संयंत्रों के उपयोग से कोयले की खपत में होने वाली बचत महज 1-2% ही होगी।
- **कुछ पुराने संयंत्रों के पर्यावरणीय लाभ:** कुछ पुराने संयंत्र, प्रदूषण नयिंत्रण तंत्र स्थापति करने का व्यय उठाने के बाद भी आर्थिक रूप से व्यवहार्य बने रह सकते हैं, क्योंकि उनकी वर्तमान तय लागत (जिसमें प्रदूषण नियंत्रण तंत्र की स्थापना के साथ वृद्धि होगी) बहुत कम है।
 - ॰ इसके अलावा, 25 वर्ष से अधिक पुराने संयंतरों में से लगभग आधे ने पुरदुषण नियंतरण उपकरणों की सुथापना के लिये पहले ही निविदाएँ जारी कर रखी हैं।
- बिजली कषेतर की आवशयकता: भारत में बिजली की उपलबधता की कमी है और कोयला संयंतरों की समय-पुरव सेवानवितति से संबद्ध सीमित बचत के लिये इससे संबद्ध जोखिम उठाना उपयुक्त नहीं है।

- इस क्षेत्र में बढ़ते सविराम नवीकरणीय उत्पादन के समर्थन के लिये ऐसे क्षमता निर्माण की आवश्यकता बढ़ती जा रही है जो लचीलापन, संतुलन और सहायक सेवाएँ प्रदान कर सके।
- न्यूनतम तय लागत वाली पुरानी तापीय क्षमता इस भूमिका के निर्वहन के लिये एक प्रमुख उम्मीदवार है जब तक कि अन्य प्रौद्योगिकियाँ (जैसे-भंडारण) उसे बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापित नहीं कर देती।
- ॰ इसके अलावा, पुराने संयंत्रों का क्षमता मूल्य तात्कालिक चरम भार (peak load) की पूर्ति के लिये और नवीकरणीय ऊर्जा अनुपलब्ध होने की स्थिति में लोड की पुरति के लिये अत्यंत महत्त्वपुरण है।
- राजनीतिक आर्थिक जोखिम: विस्तृत विश्लेषण के बिना कोयला-आधारित संयंत्रों की आक्रामक समय-पूर्व सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप कुछ राज्यों में वास्तविक या आंशिक बिजली की कमी की स्थिति बिन सकती है, जिससे राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा कोयला आधारित बेस-लोड कषमता में निविश की माँग की जा सकती है।
 - ॰ लगभग 65 गीगावाट (GW) तापीय क्षमता का कार्य पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 35 GW निर्माण के विभिनिन चरणों में है।
 - यह संभवतः देश की आवश्यकता से अतरिकित क्षमता ही है, और इसके साथ ही देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के उपायों से प्रेरित होकर संकटबद्ध आसतियों (stranded assets) और अवर्द्ध संसाधनों (locked-in resources) की स्थिति उत्पन्न करेगी।
- अंतिम निर्णय से पहले वृहत विश्लेषण और अनुसंधान की आवश्यकता: केवल संयंत्रों के पुराने हो जाने के आधार पर उन्हें बंद कर देने का निर्णय उपयुक्त नहीं है और यह अलाभकारी साबित हो सकता है।
 - इसके बजाय, अलग-अलग संयंत्रों और इकाइयों की विभिन्न तकनीकी, आर्थिक और परिचालन विशेषताओं पर विचार करते हुए अधिक विकेंद्रित और सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता है। इसके साथ ही, इन संयंत्रों को सेवानवित्त करने के किसी भी निर्णय से पहले नवीकरणीय ऊर्जा की सविराम प्रवृत्ति, माँग में वृद्धि और उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता जैसे पहलुओं पर विचार करना भी उपयुक्त होगा।

उदाहरण:

- ॰ रहिंद, सिगरौली (दोनों उत्तर प्रदेश में) और विध्याचल (मध्य प्रदेश) जैसे संयंत्र 30 वर्ष से अधिक पुराने हैं, फिर भी 1.7 रुपये प्रति kWh का नयुन उत्पादन लागत रखते हैं जो राष्ट्रीय औसत से कम है।
- यह दक्षता के बर्जाय स्थानीय लाभ के कारण हो सकता है, क्योंकि प्रायः पुराने संयंत्रों को कोयला स्रोत के निकट स्थापित किया
 गया था जिससे कोयला परिवहन लागत कम हो जाती है। यद्यपि ये उदाहरण बस मुद्दे की जटलिता को उजागर करते हैं क्योंकि
 दक्षता अनिवार्य रूप से बचत का कारण नहीं भी हो सकती है।

आगे की राह

- पुराने और अकुशल बिजली संयंत्रों की रणनीतिक समाप्ति: विविकपूर्ण यह होगा कि विस्तृत विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए और आगे कार्यान्वित होने वाली अनावश्यक क्षमता की समाप्ति करते हुए पुराने संयंत्रों को समय के साथ समाप्त होने का अवसर दिया जाए और उनमें से जो भी सक्षम और कार्यशील हैं, बनाए रखे जाएँ, ताकि दीर्घकालिक आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त किया जा सके।
- लागत प्रभावी सौर संयंत्र: कोयले से संचालित परियोजनाओं की औसत लागत 4 रुपये प्रतियूनिट है और आम तौर पर इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति देखी जाती है, जबकि नए सौर करजा संयंत्रों की बोली 3 रुपये प्रतियूनिट से कम पर लगाई जा रही है।
- निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना: नई निजी प्रतिस्पर्द्धा नई पूँजी और अधिक नवाचार ला सकती है।
 - े नए कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों को अभी भी सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है और इसलिय निजी क्षेत्र किसी भी कोयला-आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण की ओर उन्मुख नहीं हैं; केवल सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियाँ ही ऐसा कर रही हैं। इन सार्वजनिक क्षेत्र के ताप संयंत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा और मुख्यतः करदाताओं के पैसे से वित्तपोषित किया जाता है।
- **उदय 2.0 योजना:** सरकार द्वारा <mark>उदय</mark> 2.0 योजना की घोषणा एक सही दिशा में उठाया गया कदम है जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर, डिस्कॉम द्वारा शीघ्र भुगतान, अल्पावधि के लिये कोयले की उपलब्धता और गैस आधारित संयंत्रों को पुनर्जीवित करने की इच्छा रखता है।
- लचीले अनुबंध: लंबी अवधि के आपूर्ति अनुबंधों को सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिये लचीलेपन की आवश्यकता है ताकि वे माँग में कोविड के कारण गरिावट जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों के अनुकूल बन सकें।

नषिकरष

वर्तमान में हमें ऊर्जा क्षेत्र में रूपांतरण की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम स्थानीय और वैश्विक उत्सर्जन में कमी के सह-लाभों को साकार कर सकेंगे। हमें सभी के लिये ऊर्जा के अधिकार की पुष्टि भी करनी होगी, क्योंकि ऊर्जा की पहुंच में निर्धनता और असमानता बड़े कारक है। ऐसे में भारत को विधिकृत ऊर्जा मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएँ हैं, जबकि हाइड्रोजन भी भारतीय ऊर्जा संक्रमण के क्षेत्र में एक 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारत के ऊर्जा संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की प्राप्ति के लिये पुराने कोयला-आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करने के सरकार के कदमों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

